प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 09-12-2024

> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, जनपद बदायूँ द्वारा हत्यारोपी 06 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 271/2007 धारा 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 बनाम सतीश पुत्र कल्यान आदि 06 नफर की विवेचना विवेचक एसएचओ श्री शैलेन्द्र भारद्वाज द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय , बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 09-12-2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण (1) सतीश पुत्र कल्यान (2) सूरजपाल पुत्र शिशुपाल (3) पोप सिंह पुत्र अनोखे, निवासीगण कालूपुर, थाना बिसौली, जनपद बदायूँ (4) जौहरी पुत्र महीपाल, निवासी पद्धेर, थाना आंवला, जनपद बरेली (5) मुकेश पुत्र रामभरोसे, निवासी बझेड़ा, थाना आंवला, जनपद बरेली एवं (6) गुड्डू पुत्र वीरेन्द्र यादव, निवासी कालूपुर, थाना बिसौली, जनपद बदायूँ को दोषसिद्ध करते हुए धारा- 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास तथा 10000-10000/-रु0 का अर्थदण्ड , धारा- 307 भा0द0वि0 में 10 वर्ष का कारावास व 5000-5000/-रु0 का अर्थदण्ड, धारा- 148 भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कारावास व 2000-2000/-रु0 का अर्थदण्ड तथा धारा- 147 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कारावास व 1000-1000/-रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम में अभियुक्तगण सतीश, सूरजपाल तथा मुकेश उपरोक्त को 03 वर्ष का कारवास तथा 3000/- रु० का अर्थदण्ड से पृथक से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री ओमपाल कश्यप, विवेचक एसएचओ श्री शैलेन्द्र भारद्वाज का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल,

जनपद बदायूं।